राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बिलासपुर, (रामपुर) उ०प्र०

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "C" श्रेणी प्रदत्त

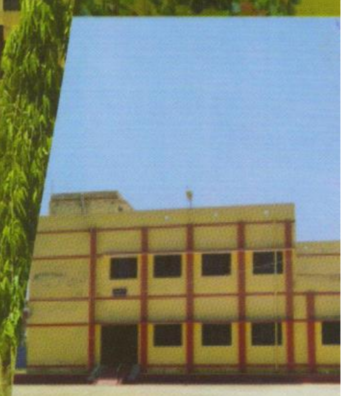

प्रवेश आवेदन पत्र

मूल्य 50/-

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (रामपुर) उ०प्र०

संक्षिप्त परिचय

बिलासपुर नगर के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर की स्थापना वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। वर्तमान में यह महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग–87 (रामपुर से नैनीताल) पर स्थित बिलासपुर के ग्राम कुआँ खेड़ा की प्रकृति के सुरम्य आंचल में संचालित है। अपनी स्थापना से अद्यतन इस छोटे से अन्तराल में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समुचित विकास चारित्रिक निर्माण, अनुशासन की भावना एवं अन्य अनेकों स्वस्थ्य परम्पराओं का निर्वहन करते हुए यह महाविद्यालय नित–नूतन प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

पुस्तकालय - महाविद्यालय में विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि हेतु लगभग 10,000 पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, विश्वज्ञान कोष एवं पत्र–पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय उपलब्ध है।

वर्तमान में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निम्न विवरणानुसार अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकाय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

1. कला संकाय :-

स्नातक स्तर पर -

(1.) हिन्दी (2.) अंग्रेजी (3.) संस्कृत (4.) समाजशास्त्र (5.) इतिहास (6.) राजनीति शास्त्र (7.) अर्थशास्त्र (8.) भूगोल

स्नातकोत्तर स्तर पर

(1.) हिन्दी (2.) अंग्रेजी (3.) संस्कृत (4.) समाजशास्त्र (5.) इतिहास (6.) राजनीति शास्त्र (7.) अर्थशास्त्र (8.) भूगोल

नोट :- यह आवश्यक नहीं है कि प्रवेशार्थी को उसके द्वारा चयनित विषयों में प्रवेश मिल सके। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय में सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है, अतः विषयों का चयन प्रवेश समिति के निर्देशानुसार सीटों की उपलब्धता के आधार पर करना होगा। स्नातक स्तर पर सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा।

2. विज्ञान संकाय :-

स्नातक स्तर पर :-

(1) भौतिक विज्ञान (2) रसायन विज्ञान (3) गणित

अथवा

(1) जन्तु विज्ञान (2) वनस्पति विज्ञान (3) रसायन विज्ञान

विषय समूह में से किसी एक वर्ग का चयन करना होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर :-

(1) भौतिक विज्ञान (2) रसायन विज्ञान (3) गणित (4) जन्तु विज्ञान (5) वनस्पति विज्ञान

3. वाणिज्य संकाय :- **स्नातक एवं स्नातकोत्तर** स्तर पर विषय समूह का चयन, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य व ऐच्छिक विषयों व समूह, प्रवेश समिति के परामर्शानुसार करना होगा।

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम अध्ययन के साथ-साथ निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी योजनाएँ भी महाविद्यालय में संचालित हैं।

१. **एन.एस.एस.** – छात्रों में **''श्रम भावना''** को उजागर करने तथा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा जगाने के लक्ष्य को लेकर भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है। इसमें स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत 100 छात्र/छात्राओं को पंजीकृत किया जाता है। शैक्षणिक सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक को 120 घण्टे श्रमदान करते हुए महाविद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण, मलिन बस्तियों के स्वच्छता अभियान, श्रमदान, साक्षरता, जन कल्याण, अल्पबचत, मद्यनिषेध, वृक्षारोपण तथा एड्स उनमूलन जन जागरण एवं पल्स पोलियो अभियान के साथ–साथ एक दस दिवसीय शिवर में भी भाग लेना होता है। पंजीकरण के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ित क्षेत्रों के लिए राहत कार्य भी किया जाता है।

२. **रोवर्स-रेंजर्स क्रू दल :**– उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में रोवर्स–रेंजर्स दल पंजीकृत है। स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में अनुशासन, स्वावलम्वन एवं जन–सेवा की भावना विकसित करने के लिए यह दल सक्रिय है।

३. **शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद** – छात्र–छात्राओं के लिए खेल कूद की सुविधा महाविद्यालय में उपलब्ध है सीमित संसाधनों के रहते हुए भी महाविद्यालय में क्रिकेट, फुटबाल, बॉलीबाल, खो–खो, बैडमिन्टन, एथलेटिक्स एवं विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय क्रीड़ा समिति की देख–रेख में महाविद्यालय की टीमें रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय अन्तर्महाविद्यालय क्रीड़ा में समुचित प्रतिनिधित्व करते हुए महाविद्यालय को गौरवान्वित करती हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है।

४. **विभागीय एवं सांस्कृतिक परिषद :**– छात्र–छात्राओं की नैसर्गिक प्रतिभा को उजागर करने के लिए महाविद्यालय में विभागीय परिषदों के साथ–साथ एक सांस्कृतिक परिषद का भी गठन किया जाता है। जो समय–समय पर शैक्षणिक सत्र में विभिन्न ज्वलन सामस्याओं पर लेखमाला, भाषण, निबन्ध, प्रश्नमंच, नारालेखन, शोध पत्र पठन, चार्ट, पोस्टर एवं अन्य सांस्कृति कार्यक्रमों को आयोजित करके छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करती है।

५. **पर्यावरण क्लब :**- छात्र–छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु पर्यावरण–क्लब की स्थापना महाविद्यालय में की गई है। इस क्लब के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मौहल्ले/गाँव तथा आस–पास में पर्यावरण के प्रति आम जनता को सजग करने हेतु विभिन्न गोष्ठियाँ आयोजित करें तथा अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर उनको विकसित कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करें पर्यावरण क्लब के द्वारा समय–समय पर भाषण, निबन्ध, नारा लेखन, चार्ट एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है।

६. **कैरियर गाइडेन्स प्रकोष्ठ :**- छात्र–छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य एवं आजीविका सम्बन्धी मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु एक कैरियर गाइडेन्स प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

प्रवेश आवेदन - पत्र भरने से पूर्व प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं समस्त निर्देशों को अवश्य पढ़ लें।

१. **प्राचार्य को किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र बिना कारण बताये रोकने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।**

२. किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जो विद्यार्थी प्रायोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रायोगिक कार्य को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति होगी।

३. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

४. **ऐसे प्रवेशार्थी जिनका आचरण असन्तोषजनक/संदिग्ध रहा है वह महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकेंगे।**

५. प्रवेश के समय अनुशासनहीनता करते पाये गये प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

६. अनुशासनहीनता के लिए दण्डित प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

७. अनुचित साधन का प्रयोग करते पाये गये प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

८. प्रवेशार्थी जिनके विरूद्ध न्यायालय में दण्डनीय अभियोग चल रहा हो/दण्डनीय अपराध में सजा दी जा चुकी हो या जिनका चरित्र संदिग्ध हो अथवा जो अवांछनीय तत्व हैं या उनके साथ रहने वाले हैं महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, ऐसे प्रवेशार्थी मिथ्या वर्णन / त्रुटिवश अथवा तथ्यों को छुपाकर यदि प्रवेश पा लेते हैं तो इनके प्रवेश को तत्काल निरस्त करने का, प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है।

९. जो विद्यार्थी प्रॉक्टोरियल स्टाफ सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागर्दी, रैगिंग अथवा महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातारण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

१०. प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर समस्त प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

११. शासन विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रवेश नियमों का संज्ञान लिया जायेगा। जो प्रवेशार्थियों को मान्य होंगे।

१२. प्रदेश के बाहर से आये छात्रों के योग्यता (मेरिट सूची) के आधार पर केवल .5 प्रतिशत स्थान तक ही प्रवेश किये जायेंगे।

१३. प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के अंक घटाकर प्रवेश श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

१४. जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप उत्तीर्ण की है, उसे स्नातक पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

१५. संस्थागत रूप से प्रवेश लेते समय यदि छात्र सरकारी या गैरसरकारी नौकरी करने के तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में यह बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

१६. विषयों का चयन प्रवेश समिति के परामर्शानुसार सीटों की उपलब्धता के आधार पर करना होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

१. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना होगा डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

२. **एक कक्षा के लिए भरा गया आवेदन पत्र केवल उसी कक्षा के लिए मान्य होगा। किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।**

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(क) **हाईस्कूल के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति जिस पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।**

(ख) **सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक-पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति जिन पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।**

(ग) **अन्तिम शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।**
नोट : मूल प्रति साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

(घ) **इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को एक अतिरिक्त चरित्र प्रमाण-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधान सभा सदस्य या विधान परिषद् के सदस्य द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा। महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण - पत्र मान्य नहीं होगा।**

(ङ) **स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए वर्ष (प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष) की अंकतालिका की प्रमाणित फोटो प्रति।**

(च) **अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत टी०सी० की प्रमाणित फोटो प्रति।**
नोट : मूल प्रति साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

(छ) **अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थियों को माईग्रेशन सर्टीफिकेट (तुरन्त जमा ना करने की स्थिति में प्रोविजनल प्रमाण-पत्र) देना होगा।**
नोट : मूल प्रति साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी साथ ही नामांकन फार्म भर कर जमा करना होगा।

(ज) **अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/ अनुसूचित जनजाति/स्वतन्त्रता सैनानी/सुरक्षा सेवा के वार्ड /अपंग/एन.सी.सी./खेल आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही शुल्क मुक्ति का लाभ दिया जाना सम्भव होगा।**

(झ) **प्रवेशार्थी द्वारा पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो ही चस्पा किये जाएँ।**

(ञ) **दो सादे लिफाफे (एक लिफाफा रजिस्ट्री का यानि 25/- रूपये तथा दूसरा 5/- रूपये का टिकट लगा हुआ)**

३. स्नातक (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) अथवा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा इसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है, अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।
   (क) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति जिस पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।
   (ख) प्रवेशार्थी के पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो।

४. आवेदन पत्र निर्धारित संलग्नकों के साथ निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

५. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

:: साक्षात्कार सम्बन्धी नियम ::

१. प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ (जैसे साक्षात्कार का समय एवं स्थान, श्रेष्ठता सूची, प्रतीक्षा सूची की अन्तिम तिथि) यथा समय महाविद्यालय के सूचनापट पर ही लगाई जायेगी।

२. समय से सही सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का दायित्व होगा। इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार से सूचना नहीं दी जायेगी।

३. साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण–पत्र, प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

४. प्रवेश संस्तुत हो जाने पर तुरन्त शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

५. अभ्यर्थी जिस श्रेणी की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रति पूर्ति हेतु आवेदन करना चाहता है उसे प्रवेश की तिथि से 10 दिन के भीतर विधिवत पूर्ण कर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा वे उक्त लाभ से वंचित रह सकते हैं। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

६. **एक अतिरिक्त फोटो (२x३ सेमी. साइज), परिचय पत्र बनवाने के समय लाना अनिवार्य है।**

:: विषय चयन सम्बन्धी निर्देश ::

१. स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय रिक्तता के आधार पर आवंटित किये जायेंगे।

२. स्नातक स्तर पर नये विषय का निर्धारण सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुती एवं रिक्तता के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

३. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन–पत्र में केवल विषय का ही उल्लेख करना है, न कि वैकल्पिक प्रश्न–पत्रों का।

४. बी.ए. तृतीय वर्ष, में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी को द्वितीय वर्ष के विषयों में से किन्हीं दो विषयों को चयन उक्त कक्षा की प्रवेश समिति के निर्देशानुसार करना होगा।

५. ऐसे प्रवेशार्थी जिनके पास परीक्षा में सम्मिलित होने वाले वर्ष में प्रयोगात्मक विषय रहा हो तथा उनके आचरण एवं व्यवहार से महाविद्यालय प्रशासन संतुष्ट हो, परीक्षा आवेदन–पत्र रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अनुमोदन हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किये जायेंगे।

६. स्नातकोत्तर (कला) स्तर पर प्रवेश विषय रिक्तता एवं योग्यता सूची के आधार पर किये जायेंगे।

७. स्नातकोत्तर (वाणिज्य) स्तर पर प्रवेश विषय योग्यता सूची के आधार पर किये जायेंगे।

८. स्नातकोत्तर (विज्ञान) स्तर पर प्रवेश एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों व तिथियों के अनुसार किये जायेंगे।
   सभी कक्षाओं में

९. विषय चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही करना होगा। इसमें कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

पाठ्य विषय

स्नातक (कला)

१. **अनिवार्य विषय** - सामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा (कोई एक)

२. **वैकल्पिक विषय** - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा संस्कृत। इन विषयों में से कोई तीन विषय अग्रलिखित प्रतिबन्ध के साथ चयनित करने होंगे।

विषय चयनित प्रतिबन्ध

(क) अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य एवं संस्कृत में से मात्र दो विषय।

स्नातकोत्तर (कला) -

हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा संस्कृत में से कोई एक विषय जिसमें स्नातक की (अन्तिम वर्ष की परीक्षा) प्रमुख विषय के रूप में उत्तीर्ण की हो।

स्नातक (वाणिज्य) -

स्नातक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य होंगे।

स्नातकोत्तर (वाणिज्य) -

स्नातकोत्तर स्तर पर सभी विषय अनिवार्य होंगे।

स्नातक (विज्ञान) -

(1) भौतिक विज्ञान (2) रसायन विज्ञान (3) गणित या

(1) जन्तु विज्ञान (2) वनस्पति विज्ञान (3) रसायन विज्ञान

दोनों में से किसी एक समूह का चयन करना होगा।

स्नातकोत्तर (विज्ञान)-

(1) जन्तु विज्ञान (2) वनस्पति विज्ञान (3) रसायन विज्ञान (4) भौतिक विज्ञान (5) गणित में से कोई एक विषय जिसमें स्नातक की अन्तिम वर्ष की परीक्षा प्रमुख विषय के रूप में उत्तीर्ण की हो।

नोट -

१. स्नातक प्रथम वर्ष में एक अनिवार्य तथा तीन वैकल्पिक विषयों अर्थात कुल 4 विषयों का अध्ययन करना होगा।

२. ऐसे प्रवेशार्थी को सामान्य हिन्दी विषय लेना अनिवार्य होगा जिसने हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी साहित्य का अध्ययन नहीं किया है।

३. विश्वविद्यालय द्वारा वर्जित विषय संयोग (कॉम्बिनेशन) नहीं लिया जा सकता।

४. सभी संकाय के छात्र–छात्राओं को स्नातक प्रथम वर्ष में पर्यावरण विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा अनिवार्य हैं।

५. स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा की लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा, सभी संकायों में तीनों वर्षों के छात्र–छात्राओं के लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

विद्यार्थियों से अपेक्षित आचरण

महाविद्यालय में अकादमिक वातावरण बनाए रखने का दायित्व महाविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य का है। विद्यार्थियों को निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

१. विद्यार्थियों से शालीन, गरिमापूर्ण सभ्य व्यवहार, निर्धारित वेशभूषा, सहयोग की भावना एवं सन्तुलित वार्तालाप–शैली अपेक्षित है।

२. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व है। अनुशासन व्यवस्था के अनुपालन हेतु महाविद्यालय में शास्ता–मण्डल का गठन किया जाता है। महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं शास्ता–मण्डल के सदस्यों को किसी भी विद्यार्थी से पूछताछ करने एवं उसे समुचित व्यवहार हेतु निर्देशित करने का अधिकार है।

३. महाविद्यालय की अनुशासन संहिता से इतर व्यवहार प्रतिकूल आचरण है। अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर छात्र–छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

४. कक्षाओं के बाहर महाविद्यालय–गैलरी में अनावश्यक चलना–फिरना एवं शोर–गुल कक्षाओं के सुचारू संचाल में बाधक है। विद्यार्थियों को इससे बचना चाहिए।

५. विद्यार्थियों से सम्बन्धी सभी सूचनाऐं सूचना–पट पर लगाई जाती हैं। महाविद्यालय प्रशासन का सूचनाओं के प्रसारण सम्बन्धी दायित्व की पूर्ति का माध्यम सूचना–पट ही है। अतः विद्यार्थियों को दिन में एक बार सूचना–पट अवश्य देखने की आदत विकसित करनी चाहिए।

६. विद्यार्थयों को अपनी कक्षाओं में नियामित रूप से उपस्थित रहना चाहिए। विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति कम होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

७. परिसर में धूम्रपान वर्जित है।

८. किसी कठिनाई या शिकायत का स्थिति में विद्यार्थी को सम्बन्धित समिति के सदस्यों, विभागीय अध्यक्ष, परिषद–प्रभारी एवं आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य महोदय से सम्पर्क करना चाहिए।

९. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग (Ragging) किया जाना प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।

१०. गुटका/ पान खाकर आना या साथ लाना महाविद्यालय परिसर में माना है, पकड़े जाने पर आपको दण्डित किया जा सकता है।

११. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक घूमना व बाहरी व्यक्तियों को साथ लाना माना है।

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता

स्नातक प्रथम वर्ष हेतु छात्र–छात्रा को इण्टरमीडिएट या समकक्ष कला/विज्ञान/वाणिज्य से उत्तीर्ण होना चाहिए। जिन्होंने 12 वीं कक्षा कृषि विज्ञान या अन्य समूह से की है उनके .5 प्रतिशत अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

नोटः बिलासपुर विधान–सभा क्षेत्र एवं तत्पश्चात रामपुर जिले से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की वरीयता दी जायेगी।

१. शासन द्वारा निर्धारित परिसीमा के अन्तर्गत प्रवेशार्थी को आरक्षण लाभ दिया जायेगा।

२. विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के सभी कक्षाओं प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार अधिभार अनुमान्य होगा। (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

स्नातक (द्वितीय तथा तृतीय वर्ष) का साक्षात्कार

स्नातक (द्वितीय व तृतीय वर्ष) के छात्र–छात्रायें विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका के निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रवेश ले लें। किसी भी व्यक्तिगत परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्रा को विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश हेतु अर्हता

- प्रवेशार्थी को जिस विषय में प्रवेश लेना हो, उस विषय से स्नातक परीक्षा 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
- यदि छात्र या छात्रा अपना समूह / विषय बदलते हैं तो उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक घटा कर तैयार की जायेगी।
- स्नातकोत्तर (विज्ञान) स्तर पर प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं तिथियों के अनुसार किये जायेंगे।

स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) का साक्षात्कार

- स्नातकोत्तर (उतरार्द्ध) के छात्र – छात्रायें विश्वविद्यालय द्वारा अंक तालिका के निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रवेश ले लें।

कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम का विवरण

१. महाविद्यालय कार्यालय से प्रवेश आवेदन पत्रों का वितरण किया जायेगा।

२. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पूर्ण रूप से भरे आवेदन–पत्र सभी संलग्नकों सहित कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

३. श्रेष्ठता (मेरिट लिस्ट) एवं प्रतीक्षा सूची (वैटिंग लिस्ट) की घोषणा सूचनापट पर की जायेगी।

४. प्रवेश हेतु साक्षात्कार की सूचना नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी।

नोट : प्रत्येक प्रवेशार्थी को सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

१. निर्धारित तिथि /समय की समाप्ति पर कोई प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

२. प्रवेश श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर होगा तथा सभी सूचनायें महाविद्यालय/विभागीय सूचनापट पर उपलब्ध रहेंगी।

३. प्रवेश नियमों तथा तिथियों में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी भी परिवर्तन की सूचना महाविद्यालय सूचना–पट तथा स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

४. अन्य कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं तिथियों के अनुसार किये जायेंगे।

५. साक्षात्कारोपरान्त प्रवेश हेतु संस्तुत होने पर प्रवेशार्थी द्वारा, घोषित दिन तक महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। शुल्क न जमा करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। शुल्क सम्बन्धी जानकारी महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें।

नोट : निर्देशिका में वर्णित नियमों/सूचनाओं को यथा समय परिवर्तित एवं संशोधित करने का महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण अधिकार है।

(आवदेन पत्र के साथ प्रश्नावली प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है)

प्रश्नावली

छात्र/छात्रा के लिये

(स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों के लिये बिन्दु 2 से 9 भरना आवश्यक नहीं)

1. आप इस महाविद्यालय में प्रवेश क्यों चाहते हैं?

....

2. आप की दृष्टि में महाविद्यालय का प्रशासन/अनुशासन : (क) श्रेष्ठ (ख) अच्छा (ग) सामान्य (घ) खराब
3. महाविद्यालय परिसर में स्वछता : (क) श्रेष्ठ (ख) अच्छा (ग) सामान्य (घ) खराब

....

4. आपके किस विषय में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है?

....

5. आप किस विषय की पढाई से संतुष्ट नहीं है?

....

6. महाविद्यालय में आप किससे सर्वाधिक प्रभावित हैं?

....

7. आपकी दृष्टि में महाविद्यालय की सबसे अच्छी बात ।

....

8. आपकी दृष्टि से महाविद्यालय की सबसे खराब बात।

....

9. महाविद्यालय विकास में आपके सुझाव ?

(1) ....

(2) ....

(3) ....

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का नाम

....

कक्षा ....

अभ्यार्थी स्वयं भरे

महाविद्यालय प्रयोगार्थ

3384

रसीद संख्या/क्रम संख्या ....

एस०आर० पंजीकरण–पत्र

कक्षा .... वर्ष ....

प्रवेशार्थी का नाम .... पिता का नाम ....

पता ....

जाति–सामान्य/अनु०/अनु०जन/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग उपजाति .... धर्म ....

मोबाइल नं० ....

जन्मतिथि अंकों में .... शब्दों में ....

शुल्क भुगतान की राशि रू० .... व दिनांक ....

3.5× 4.5 सेमी.
आकार का फोटो

चयनित विषय (स्नातक)	(1)	(2)
प्रश्न पत्र (स्नातकोत्तर)	(3)	(4)
	(5)	(6)

अभ्यार्थी स्वयं भरे

महाविद्यालय प्रयोगार्थ

3384

रसीद संख्या/क्रम संख्या ....

शास्ता मंडल

प्रवेशार्थी का नाम ....

पिता का नाम ....

माता का नाम ....

मोबाइल नं० ....

पता ....

कक्षा .... वर्ष ....

3.5× 4.5 सेमी.
आकार का फोटो

चयनित विषय (स्नातक)	(1)	(2)
प्रश्न पत्र (स्नातकोत्तर)	(3)	(4)
	(5)	(6)

मैं महाविद्यालय के समस्त निर्देशों व नियमों का पालन करूँगा/करूँगी एवं रैगिंग में लिप्त नहीं रहूँगा/रहूँगी

हस्ताक्षर

महाविद्यालय हेतु आचार संहिता

1. महाविद्यालय के छात्र/छात्राएँ महाविद्यालय की अचार संहिता का पूर्णतः पालन करेंगे।
2. महाविद्यालय के छात्र/छात्राएँ पूर्णतः अनुशासन में रहेंगे।
3. महाविद्यालय में समस्त छात्र–छात्राएँ अपना परिचय पत्र अवश्य साथ लाएँ।
4. छात्र/छात्राओं के परिधान पूर्ण रूप से सभ्य होना चाहिए।
5. छात्र/छात्राएँ नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे।
6. छात्र/छात्राएँ शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकें।
7. छात्र/छात्राएँ, प्राचार्य, प्राध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रति सम्मान जनक तथा सोहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे।
8. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय की सार्वजनिक सम्पत्तियों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे। सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुँचाने पर नियमपूर्वक दंडात्मक कार्रवाई होगी।
10. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ, निर्मल, पॉलोथीन मुक्त, प्रदूषणमुक्त तथा हरा–भरा बनाये रखने में सहयोग करेंगे।
11. महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राएँ अपने साथ कीमती सामान न लायें।
12. महाविद्यालय परिसर में पूर्ण शांति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।
13. महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राएँ अपने निजी समान की सुरक्षा स्वयं करेंगे।
14. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बनाये गये नियम तथा निर्देशों का छात्र–छात्राएँ पूर्णतः पालन करें।
15. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः वर्जित एवं दंडनीय है।
16. महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है।
17. महाविद्यालय में छात्र/छात्राएँ बिद्युत, जल एवं अन्य किसी भी चीज का दुरूपयोग न करें।

Anti Ragging

E-mail:gdcbilaspur2011@gmail.com www.governmentdegreecollegebilaspurrampurup.com

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर

जनपद-रामपुर (उ0प्र0)

छात्र/छात्रा का नाम...

पिता/अभिभावक का नाम...

सत्रः– कक्षाः–

मैं घोषणा करती/करता हूँ कि:–

1. मैं Section-I & Section-II (Anti Ragging ACT-1999) से भली भाँति परिचित हूँ।
2. रैगिंग जैसे धृणित कार्य में कभी भी सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी।
3. मैं कैम्पस के अन्दर मर्यादा का पालन करते हुए अच्छे व्यवहार एवं आचरण का प्रदर्शन करूँगा/करूँगी।
4. मैं किसी भी छात्र/छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा/करूँगी जिससे कि उन्हें मानसिक अथवा शारीरिक प्रताड़ता मिले।
5. मैं किसी भी छात्र/छात्रा के साथ किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी जिससे कि उन्हें लज्जा एवं अपमान महसूस हो।
6. मैं कैम्पस के अंदर अथवा वाहर अनुशासित रह कर जूनियर छात्र/छात्राओं को भी अनुशासित रहने की प्रेरणा देती रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि उपर्युक्त में से किसी भी अनुचित कार्य में मुझे लिप्त पाया जायें तो संस्था के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वे मुझे संस्था से निष्कासित कर दें, स्कालरशिप अथवा अन्य मिलने वाली सुविधाओं को रोक दें, संस्था के विशेष आयोजनों में भाग लेने से रोक दें, होस्टल से निष्कासित कर दें अथवा परीक्षाफल रोक दें, या इसी प्रकार की कोई भी दंडात्मक कार्यवाही की जाये।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

(छात्र/छात्रा के पिता/अभिभावक द्वारा भरा जाना है)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि (छात्र/छात्रा का नाम).. ....जो कि मेरी (अभिभावक से संबंध)...है, संस्था के अंदर रैगिंग करने या अनुचित एवं अशोभनीय व्यवहार करने के कारण उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

बी.ए./एम.ए., बी.कॉम,/एम.कॉम, बी.एससी./एम.एससी. आवेदन पत्र /क्रम सं० 3384

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (रामपुर) उ०प्र०

प्रवेश आवेदन पत्र (सत्र 2017– 2018)

1. प्रवेश हेतु कक्षा ____ भाग –
2. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)
3. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
4. पिता का नाम (श्री)
5. माता का नाम (श्रीमती)
6. जन्मतिथि — तिथि ____ माह ____ वर्ष ____
7. श्रेणी (√) का निशान लगायें — सामान्य ____ ओ०बी०सी० ____ एस०सी० ____ एस०टी० ____
8. जन्म स्थान ____ उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि ____
9. राष्ट्रीयता
10. स्थायी पता
11. फोन नं०/मोबाइल नं०
12. स्थानीय संरक्षक का नाम पता एवं मोबाइल नं०, प्रवेशार्थी से संबंध
13. स्नातकोत्तर विषय
14. स्नातक संकाय–कला/विज्ञान/वाणिज्य हेतु चयनित विषय (निर्देश देखें) — 1. अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा या सामान्य अंग्रेजी में से एक (कला संकाय) 2. ____ 3. ____ 4. ____

नोट : स्नातक स्तर के सभी अभ्यार्थियों के लिये शारीरिक शिक्षा तीनों वर्ष तथा पर्यावरण किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

प्रवेशार्थी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो (2×3 सेमी० साइज)

कार्यलय प्रयोग हेतु		भारांश
पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक		
पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक %		
पूर्व परीक्षा का वर्ष		
गैप इयर कटौती		
श्रेणी सामान्य/आरक्षित		
शारीरिक अपंगता		
सुरक्षा कर्मी		
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी		
अल्पसंख्यक		
विशेष योग्यताएं		
N.S.S./N.C.C./खेल कूद स्काउट/रोवर रेंजर व अन्य		
शिक्षक पाल्य		
अन्य		
योग		

15. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण

परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय
* हाई स्कूल						
* इण्टरमीडिएट						
* बी०ए०/बी०एससी०/बी०काम० I						
* बी०ए०/बी०एससी०/बी०काम० II						
* बी०ए०/बी०एससी०/बी०काम० III						
* एम०ए०/एम०एससी०/एम०काम० पूर्वार्द्ध						
* एम०ए०/एम०एससी०/एम०काम० उत्तरार्द्ध						

अन्य * मार्कशीट जाली होने के संदेह में बोर्ड एवं पुलिस से जांच करायी जायेगी।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (रामपुर) उ०प्र०

प्रवेश आवेदन – पत्र की रसीद

आवेदन पत्र संख्या/क्रम सं० 3384

श्री/श्रीमती/कु० .... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री ....

का आवेदन–पत्र कक्षा .... में प्रवेश हेतु .... संलग्नकों सहित प्राप्त किया।

संलग्नक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर....................

पीछे दिये गये नियमों का अनुपालन अनिवार्य है।

17. एम० जे० पी० रु० वि० वि० बरेली की नामांकन संख्या (यदि हो)

18. क्या आपके विरूद्ध कोई अभियोग चल रहा है/चल चुका है/ किसी अभियोग में दण्डित हो चुके हैं? यदि हां तो पूर्ण विवरण दें–

19. क्या आप गत परीक्षाओं में अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़े गये हैं? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें –

20. क्या विगत सत्र आपको महाविद्यालय प्रशासन ने अनुशासन भंग करने के कारण चेतावनी दी। निलंबित किया/निष्कासित किया? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें गलत सूचना देने पर प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

21. क्या आप सेवारत है ? यदि हाँ तो अपने पद, कार्यालय तथा नियोजन का उल्लेख करें।

22. क्या वर्तमान सत्र में किसी अन्य शिक्षा संस्थान में प्रवेश लिया है? यदि हाँ तो उल्लेख करें।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि इसमें कुछ भी असत्य या जाली पाया गया तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे विरूद्ध विधिक (कानूनी) कार्यवाही से मुझे आपत्ति नहीं होगी।

पिता/पति/संरक्षक का नाम, स्थायी पता एवं फोन नं०

पिता/पति/संरक्षक का फोटो व हस्ताक्षर

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची –

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

प्रवेश समिति के समक्ष प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर व दिनांक

प्रवेश समिति के संयोजक / सदस्य के हस्ताक्षर व दिनांक

अस्थाई प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत

....

प्राचार्य के हस्ताक्षर

दिनांक ....

अस्थाई प्रवेश संस्तुत/संस्तुति

....

संयोजक, प्रवेश समिति के हस्ताक्षर

दिनांक ....

कार्यालय के प्रयोग हेतु

कक्षा .... प्राप्त शुल्क राशि रू० .... शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर

छात्र–पंजिका संख्या .... रसीद संख्या एवं दिनांक .... दिनांक ....

अत्यन्त महत्वपूर्ण

1. साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार की तिथि व समय की सूचना स्वयं प्रवेशार्थी को नोटिस बोर्ड पर देखनी होगी अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने पर प्रवेशाधिकार स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. प्रवेशार्थी के साथ **साक्षात्कार के समय माता–पिता का आना अनिवार्य है।** यह अनिवार्यता केवल स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु है।
3. साक्षात्कार के तुरन्त बाद शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर सीट मेरिट के आधार पर अन्य अभ्यर्थी को दे दी जायेगी।
4. **साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र टी०सी०/चरित्र प्रमाण पत्र व टिकट साइज फोटो लाना अनिवार्य है।**

महाविद्यालय परिवार

पो0 (डॉ0) आर0 पी0 यादव (प्राचार्य)

कला संकायः

1–	डॉ0 इन्दुभूषण महापात्र	समाजशास्त्र विभाग
2–	डॉ0 नीलिमा सिंह	शारीरिक शिक्षा विभाग
3–	डॉ0 अब्दुल लतीफ	हिन्दी विभाग
4–	डॉ0 नीत बिहारी लाल	इतिहास विभाग

विज्ञान संकायः

1–	डॉ0 निशा वर्मा	वनस्पति विज्ञान विभाग
2–	डॉ0 हेमन्त कुमार	गणित विभाग
3–	डॉ0 वन्दना राठौर	जन्तु विज्ञान विभाग
4–	डॉ0 शिव ओम शर्मा	गणित विभाग
5–	डॉ0 दिव्यांशु कुमार सिंह	भौतिक विज्ञान विभाग

वाणिज्य संकायः

1–	डॉ0 पी0 के0 गर्ग	वाणिज्य विभाग
2–	डॉ0 अवतार दीक्षित	वाणिज्य विभाग

कार्यालय स्टॉफः

1–	श्री पी0एस0 आनन्द	वरिष्ठ लिपिक
2–	श्रीमती शैफाली	कनिष्ठ लिपिक
3–	श्री ग्रीश बाबू	चौकीदार
4–	श्री भूपेन्द्र	प्रयोगशाला परिचारक
5–	श्री मनोज कुमार	प्रयोगशाला परिचारक